


पी०के० गंगवार  
पी०सी०एस०  
कुलरथिव



उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय  
आई०इ०टी० परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ- 226021  
पत्रांक : उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०का०/स०वि०/2014/5401-7459  
दिनांक 24.07.2014

College Code : 422

Director

Bansal Institute of Engineering & Technology, Lucknow

विषय:- शैक्षिक सत्र 2014 . 15 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण, नई दिल्ली के द्वारा प्राप्त अनुमोदन के आधार पर विश्वविद्यालय/उ०प्र० शासन की सम्बद्धता संग्रहीत द्वारा की गई संस्तुतियों के द्वारा शासन के पत्र संख्या 1875/सोलह(03)/2014 दिनांक 03.06.2014 एवं पत्र संख्या 2086/सोलह(03) /2014 दिनांक 10.07.2014 को निर्मित आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा० कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नानुसार प्रवेश क्षमता के रास्ते

Branch Name	1st Shift	2nd Shift
Civil Engg.	120	60
Computer Sc. & Engg.	60	60
Information Technology	60	
Electrical Engg.	60	
Electronics & Communication Engg.	120	
Electronics & Instrumentation Engg.	30	
Mechanical Engg.	120	60
Bio-Technology	60	
MBA	60	
Agricultural Engg.	60	
MAM	60	

स्थिति पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2014 हेतु दिनांक 01.07.2014 से विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1 संख्या द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण, नई दिल्ली/उ०प्र०प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन अवश्यकता सुविधाएँ, पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यबर्धा, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, रेंजिंग नियमित तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियों/मानकों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व रखने अस्थान/प्रबन्धतत्र का होगा।

2 निरीक्षण मण्डल द्वारा अन्य गतिविधियों के साथ-साथ अन्यथा के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जायेगा।

3. श्री.फार्म./एग.फार्म./श्री.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संस्थालित करने वाले संस्थानों को फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानक एवं संबंधित काउंसिल का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्ता समझी जायेगी, जिसका राष्ट्रीय उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
  4. संस्था प्राप्तिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/उ०प्र० प्राप्तिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के संबन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमत्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेंगी तथा शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा बांधित सूचना समय से उपलब्ध करायेगी, अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषांकिकर को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
  5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्ता समझी जायेगी।
  6. उ०प्र० प्राप्तिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 में प्रदत्त अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राप्तिकों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
  7. संस्था से एक माह के अन्दर संस्था में निदेशक/प्राचार्य एवं कार्यशत शिक्षकों की सूची तथा चयन से संबंधित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेंगी।
  8. संस्था के निदेशक का पद रिक्त होने के तीन माह(कार्यदिवस) के अन्दर अवश्य चयनित कर लिये जाएं, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य करायें। (अध्याय: 6.15)
  9. संस्था में कार्यशत शिक्षक द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (अध्याय: 6.18)
  10. शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (अध्याय: 6.25b)
  11. लैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचनाएं विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित करायें। (अध्याय: 6.13)
  12. संस्था की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचनाएं विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित करायें। (अध्याय: 6.16)
  13. संस्था द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चर्चा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विषयक यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
  14. अधिकल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
  15. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपये निराकरण हो जाने के पश्चात ही प्राप्तिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात 2015-16 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेंगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में समिलित किया जा सकेगा।
  16. संस्था का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय आकरिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त आकरिक निरीक्षण में निर्धारित गानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
  17. जिन संस्थाओं की आपातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय रत्तर रो कोई निरीक्षण अथवा जॉब की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता तदकार्यवाही के अधीन होगी।
  18. संस्था द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुरूपित जातियों, अनुज जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आराधण) अधिनियम, 2006/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश गानकों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से राज्य नियमानुसार ही शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिया जाए अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
  19. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्था में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से शुल्क वही लिये जाएं जो समय-रामय पर फीस गिरावरण समिति द्वारा निर्धारित की गई हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने वाली शिक्षावात पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
  20. AMS (Academic Monitoring System) के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या : उ०प्र०प्र०य०/कुस०का० /2014/4414-21, दिनांक 11.07.2014 का अनुपालन सुनिश्चित करने की वायता होगी।
  21. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों द्वारा निर्धारित कर्मवारियों के दिये गये दायित्वों का पालन संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। संस्था का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। यदि कठिपय कारणोंवश ऐसा करना सम्भव न हो तो संस्था द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के आकरिमक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियों पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता रखतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका राष्ट्रीय उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

मवदीय,

( पी०क० गंगार )  
कुलसंघिव

#### पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रमुख सचिव, गहा० कुलसंघिव/श्री राजपाल उत्तर प्रदेश, राजगढ़, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राप्तिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अधिकल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उ.प्र., लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

( पी०क० गंगार )  
कुलसंघिव